



457

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स-07782-226820

E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./क.त.अ./ 3087
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 21/07/2025

अधिशाली निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, जिला-बस्तर

- विषय :-** Diversion of 9.80 ha forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act-1980 Construction of ITI, Polytechnic and other associated in frastrucres in Village -Chokawada, Tehsil Jagdalpur, District- Bastar by the NMDC Lte -In-Principle regarding.
- संदर्भ :-**
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर का पत्र क./FC-II/ROCH-22/2023/14137 दिनांक 31.03.2025।
 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/115-875/1238 दिनांक 20.05.2025।
 3. इस कार्या. का पत्र क./क.त.अ./2137 दिनांक 27.05.2025।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. , पॉलीटेक्नीक कालेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (छोट-बड़े झाड़ के जंगल) गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यवर्तन हेतु अधिशाली निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जिला-बस्तर को गैर वानिकी उपयोग में देने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है। तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशानुसार इस कार्यालय के संदर्भित पत्र-3 द्वारा मांग पत्र आपकी ओर प्रेषित किया गया था। परन्तु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की पूर्व में की गई गणना राशि में आंशिक संशोधन हुआ है। संशोधित अनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

1. शर्त क्रमांक-2 के अनुसार प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमांकन 20 मीटर के अन्तराल पर 4 फीट सीमेंट कंकीट के खम्भे निर्माण की लागत राशि आवेदक विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि.यो./बजट/16 दिनांक 20.12.2023 द्वारा वर्ष 2023 में आर.सी.सी. मुनारा (पिल्लर) निर्माण प्रति नग दर रु. 12820.00 निर्धारित किया गया है। तदनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण हेतु राशि

कार्य का विवरण	सीमांकन हेतु रकबा (हे.)	सीमांकन हेतु वर्तमान प्रति हे. दर (रु.)	राशि (रु.)	स्तम्भों (मुनारे) की संख्या	स्तम्भों की प्रति नग दर (रु.)	राशि (रु.)	योग (4+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यवर्तित वनभूमि	9.800	465/-	4557.00	106	12830/-	1359980.00	1364537.00
योग :-	9.800	-	4557.00	106		1359980.00	1364537.00

क्रमशः

2. शर्त क्रमांक 3 के अनुसार माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत कलचा ना.व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 20.000 हे. में प्रतिपूरक वनीकरण (CA) की लागत राशि आवेदक विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं. एवं सं.) अ. छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-25/924 दिनांक 07.04.2025 द्वारा वर्ष 2025-26 में वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना हेतु दर निर्धारित किया गया है तथा इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) छ.ग. नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/कैम्पा-01/1658 दिनांक 02.05.2025 द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के नार्म्स निर्धारित किये गये है। जिसके अनुसार परिक्षेत्र अधिकारी माचकोट द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित किया गया है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

चयनित क्षेत्र	प्रस्तावित रकबा (हे.)	CA हेतु वर्तमान प्रचलित प्रति हे. दर	राशि (रु.)
कलचा ना.व. कक्ष क्रमांक 1142	20.000	1286648/-	25732960.00
20.000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले रोपण क्षेत्र हेतु प्रति हेक्टेयर 85 रनिंग मीटर के नार्म्स के अनुसार फेंसिंग की लम्बाई 1700 मीटर होगी, परन्तु स्थल की KML फाईल के अनुसार क्षेत्र में 1914 रनिंग मीटर फेंसिंग की आवश्यकता है।		214 रनिंग मीटर अतिरिक्त फेंसिंग के तीसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक के रखर-खाव हेतु आवश्यक राशि 214 Rm. @1789/Rm.= Rs. 382846.00	382846.00
योग :-			26115806.00

3. शर्त क्रमांक 6 के अनुसार 9.800 हे. वनभूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि आवेदक विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की दर निर्धारित किया गया है। तदनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

वनों का प्रकार	भूमि का प्रकार	रकबा (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)
Eco-Value Class I आर्द्ध पर्णपाती वन (Tropical Moist Deciduous Forest) है।	Revenue Forest Land (राजस्व वन क्षेत्र)	9.800	1116900.00	10945620.00
योग :-		9.800	-	10945620.00

उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक 3 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु रु. 26115806.00, शर्त क्रमांक 6 के अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) रु. 10945620.00 कुल रु. 3,70,61,426.00 (रु. तीन करोड़ सत्तर लाख इक्कसठ हजार चार सौ छब्बीस मात्र) ई-चालान जनरेट कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं. एवं सं.) अ. छ.ग. रायपुर के कार्यालय से अनुमोदन उपरांत कैम्पा खाता में राशि जमा कर जमा पर्ची प्रेषित करें तथा शर्त क्रमांक=2 के अनुसार प्रस्तावित वनक्षेत्र में सीमेंट कंक्रीट के खम्भे निर्माण (106 नग मुनारा) हेतु राशि रु. 1364537.00 (रु. तेरह लाख चौंसठ हजार पाँच सौ सैंतीस) मात्र वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के नाम से बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। साथ ही प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वनमण्डलाधिकारी

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

जगदलपुर, दिनांक 21/05/2025

पृ. क्रमांक/क.त.अ./3088
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं.एवं.सं.) अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

ARM (Envt)

pl. disc. 05/07/25

AGM (Bastar)

To

AM (Bastar)

m. pr. 05/07/25

45

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर

दूरभाष क्र. 07782-222414, फैक्स-07782-226820

E-mail : dfobastar@yahoo.co.in

क्र./क.त.अ./2137
प्रति,

जगदलपुर, दिनांक 27/05/2025

अधिसासी निदेशक,
एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट
नगरनार, जिला-बस्तर

विषय :-

Diversion of 9.80 ha forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act-1980
Construction of ITI, Polytechnic and other associated in frastrucres in Village Chokavada, Tehsil Jagdalpur, District Bastar by the NMDC Lte -In-Principle regarding.

संदर्भ :-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./FC-II/ROCH-22/2023/14137 दिनांक 31.03.2025।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-875/1238 दिनांक 20.05.2025।

-00-

उपरोक्त विषयांतर्गत बस्तर वनमण्डल जगदलपुर के माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोकावाड़ा में आई.टी.आई. पॉलीटेक्नीक कालेज एवं संबंधित आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु खसरा नं. 640 रकबा 1.700 हे. एवं खसरा नं. 638 रकबा 8.100 हे. कुल रकबा 9.800 हे. राजस्व वनभूमि (छोट-बड़े झाड़ के जंगल) गैर वानिकी उपयोग हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ध्वपवर्तन हेतु अधिसासी निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगरनार, जिला-बस्तर को गैर वानिकी उपयोग में देने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नया रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किया गया है। तदनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर के संदर्भित पत्र द्वारा स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है (संदर्भित पत्र -1 एवं 2 संलग्न)। संदर्भित पत्र के परिपालन में स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुसार बिन्दुवार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

1. शर्त क्रमांक-2 के अनुसार प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमांकन 20 मीटर के अन्तराल पर 4 फीट सीमेंट कंकीट के खम्भे निर्माण की लागत राशि आवेदक विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख छ.ग. रायपुर के आदेश क्रमांक/वि.यो/बजट/16 दिनांक 20.12.2023 द्वारा वर्ष 2023 में आर.सी.सी. मुनारा (पिल्लर) निर्माण प्रति मी. दर रु. 12820.00 निर्धारित किया गया है। तदनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

सीमांकन और स्थायी स्तम्भों के निर्माण हेतु राशि

कार्य का विवरण	सीमांकन हेतु रकबा (हे.)	सीमांकन हेतु वर्तमान प्रति हे. दर (रु.)	राशि (रु.)	स्तम्भों (मुनारे) की संख्या	स्तम्भों की प्रति मी. दर (रु.)	राशि (रु.)	योग (4+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
व्यवर्तित वनभूमि	9.800	455/-	4557.00	106	12830/-	1359980.00	1364537.00
योग :-	9.800		4557.00	106		1359980.00	1364537.00

ED-81
05/07/25

कमरा

2. शर्त क्रमांक 3 के अनुसार माचकोट परिक्षेत्र अंतर्गत कलचा ना.व. कक्ष क्रमांक 1142 रकबा 20.000 हे. में प्रतिपूरक वनीकरण (CA) की लागत राशि आवेदक विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-25/1126 दिनांक 08.05.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) की संशोधित दर निर्धारित किया गया है। तदनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

चयनित क्षेत्र	प्रस्तावित रकबा (हे.)	CA हेतु वर्तमान प्रचलित प्रति हे. दर	राशि (रु.)
कलचा ना.व. कक्ष क्रमांक 1142	20.000	1286648/-	25732960.00

3. शर्त क्रमांक 6 के अनुसार 9.800 हे. वनभूमि के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि आवेदक विभाग द्वारा जमा किया जायेगा।
- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की दर निर्धारित किया गया है। तदनुसार राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

वनों का प्रकार	भूमि का प्रकार	रकबा (हे.)	प्रत्याशा मूल्य की दर (रु.)	प्रत्याशा मूल्य (रु.)
Eco-Value Class I आर्द्र पर्णपाती वन (Tropical Moist Deciduous Forest) है।	Revenue Forest Land (राजस्व वन क्षेत्र)	9.800	1116900.00	10945620.00
योग :-		9.800	-	10945620.00

उक्त प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति के शर्त क्रमांक 3 के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण (CA) हेतु रु. 25732960.00, शर्त क्रमांक 6 के अनुसार शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) रु. 10945620.00 कुल रु. 3,66,78,580.00 (रु. तीन करोड़ छैंसठ लाख अठहत्तर हजार पाँच सौ अस्सी) ई-पालन जनरेट कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं. एवं सं.) अ.) छ.ग. रायपुर के कार्यालय से अनुमोदन उपरांत कैम्पा खाता में राशि जमा कर जमा पर्ची प्रेषित करें तथा शर्त क्रमांक-2 के अनुसार प्रस्तावित वनक्षेत्र में सीमेंट कंक्रीट के खम्भे निर्माण (106 नग मुनारा) हेतु राशि रु. 1364537.00 (रु. तेरह लाख चौंसठ हजार पाँच सौ सैंतीस) मात्र वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर के नाम से बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें। साथ ही प्रकरण में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करें ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/क.त.अ./ 2138
प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं.एवं.सं.) अ.) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक जगदलपुर वृत्त जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर
जगदलपुर, दिनांक 27/05/2025

वनमण्डलाधिकारी

बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर

01

186
1/2025